



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042022-235345  
CG-DL-E-25042022-235345

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2022/वैशाख 5, 1944

No. 224]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2022/VAISAKHA 5, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

संदर्भ: एचक्यू-पब014/1/2020-पब-बीआईएस(351).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में 20 जनवरी 2021 को प्रकाशित भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में एचक्यू-पब014/1/2020-पब-बीआईएस(129) दिनांक 14 जनवरी 2021:

आई एस 14625 : 2015 के संशोधन संख्या 3 के स्थापित होने की अनुसूची के क्रम संख्या 2, कॉलम(5) में – '10 अक्टूबर 2021' को '15 सितम्बर 2022' से प्रतिस्थापित करें।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण – पी एवं एम)

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

(Department of Consumer Affairs)

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 20th April, 2022

**Ref. HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS(351):**—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published on 20 January 2021 in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

Extraordinary vide HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (129) dated 14 January 2021:

Sl No. 2, column (5) of schedule establishing Amendment No. 3 to IS 14625 : 2015 — Substitute '15 Sept 2022' for '10 Oct 2021'.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization— P & M)

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

**संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (352):**—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

**अनुसूची**

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस/आई एस ओ 105-A02 : 1993 वस्त्रादि — रंग के पक्केपन का परीक्षण भाग A02 रंग में परिवर्तन का आकलन करने के लिए ग्रे स्केल	संशोधन संख्या 1 अप्रैल 2022	19 अप्रैल 2022	18 मई 2022
2	आई एस 15259 : 2002 होम लिफ्टों का संस्थापन और रख रखाव — रीति संहिता	संशोधन संख्या 2 अप्रैल 2022	19 अप्रैल 2022	18 मई 2022
3	आई एस 15545 (भाग 1) : 2015/आई एस ओ 16589-1 : 2011 थर्मोप्लास्टिक संवृत घटकों के संयोगी घूर्णी शैफ्ट	संशोधन संख्या 1 अप्रैल 2022	19 अप्रैल 2022	18 मई 2022